

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल-462021

दूरभाष-91-755-2583650, फ़ेक्स-2583651, ई-मेल- dpividhya@gmail.com

क्रमांक/अकादमिक/इंस्पा.अवा.मा./2024-25/1001

भोपाल, दिनांक 11.6.2025

प्रति,

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, जनजातिय कार्य विभाग, म.प्र.।
3. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
4. समस्त ए.डी.पी.सी एवं पदेन सहायक नोडल अधिकारी (इंस्पायर अवार्ड योजना)।

विषय-इंस्पायर अवार्ड मानक योजना वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के अवार्डी विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप की जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी/प्रतियोगिता दिनांक 25 जून से 01 जुलाई 2025 के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश।

संदर्भ-भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वीकृति आदेश क्रमांक 12011/21/2010-इंस्पायर नई दिल्ली दिनांक 20.05.2025।

-0-

इंस्पायर अवार्ड मानक योजना वर्ष 2023-24 के 1506 एवं 2024-25 के 2672 अवार्डी विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप की जिला स्तरीय प्रदर्शनी/प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश के 27 जिला क्लस्टर में दिनांक 25 जून 2025 से 01 जुलाई 2025 तक किया जायेगा। क्लस्टरवार विद्यार्थियों की संख्या एवं आयोजन दिनांक का पत्रक पृथक से परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। आयोजन हेतु अन्य निर्देश निम्नानुसार हैं:-

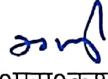
1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 हेतु प्रदेश के कुल 4178 विद्यार्थियों के आईडिया को चयन किया जाकर चयनित आईडिया का प्रोटोटाइप तैयार करने हेतु अवार्ड राशि रु. 10,000/- विद्यार्थी के बैंक खाते में डी.डी.टी योजनान्तर्गत प्रदान किए गए हैं।
2. आपके जिला अंतर्गत यदि किसी अवार्डी छात्र/छात्राओं के खाते में अवार्ड राशि रुपये 10,000/-का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, तो सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करें कि अवार्डी छात्र द्वारा भारत सरकार को दिया गया बैंक खाता विद्यार्थी के नाम से ही संचालित है, उनके माता-पिता/अभिभावक/परिजन का खाता विवरण अंकित करने पर राशि अंतरण नहीं होता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि छात्र/छात्रा के नाम संचालित खाता प्रचलित है अथवा नहीं? यदि बैंक खाता अप्रचलित हो गया है तो उसे पुनः प्रचलित करवाकर विद्यार्थी का नाम, बैंक अकाउन्ट नंबर, आइ.एफ.एस.सी. कोड आदि जानकारी शाला के लॉगिन आई डी. से भारत सरकार के वेबसाइट www.inspireawards@dst-gov.in पर अपडेट करें। ताकि अवार्डी छात्र के खाते में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो सके।
3. जिलेवार चयनित अवार्डी छात्रों के नामों की सूची विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट www.inspireawards@dst-gov.in पर उपलब्ध है एवं म0प्र0 इंस्पायर अवार्ड व्हाट्स-एप्प ग्रुप पर जिलेवार विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है।
4. इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन प्रदेश के 27 क्लस्टर में चार चरणों में दो दिवसीय आयोजन दिनांक 23 जून से 01 जुलाई 2025 तक आयोजित किया जाए। किस क्लस्टर की किस दिनांक को प्रतियोगिता होगी एवं कौन-कौन से जिले सहभागिता करेंगे, यह क्लस्टरवार जानकारी परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

dh

निरन्तर पृष्ठ-2 पर



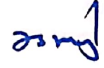
5. जिला/क्लस्टर स्तरीय आयोजन के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत निर्देश **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है।
6. उक्त आयोजन हेतु क्लस्टर जिला के जिला शिक्षा अधिकारी को राशि रुपये 2,000/- प्रति अवार्डी छात्र के मान से राशि प्रदाय की जाएगी। आयोजन पर व्यय सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर अतिरिक्त राशि का प्रदाय नहीं किया जा सकेगा।
7. क्लस्टरवार जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी/प्रतियोगिता में से 10 प्रतिशत मॉडल का चयन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी/प्रतियोगिता हेतु ज्युरी द्वारा किया जाएगा।


(डी0एस0कुशवाह)
संचालक

 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/अकादमिक/इंस्पा.अवा.मा./2024-25/1002 भोपाल, दिनांक 11.6.2025

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. निदेशक एवं मुख्य नवप्रवर्तन अधिकारी, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ग्राम भारती गाँधी नगर महुडी रोड अमरापुर गाँधी नगर 302650 गुजरात।
5. अवर सचिव, भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली।
6. आयुक्त, जनजातिय कार्य विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त सभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म.प्र.।


संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



इंस्पायर अवार्ड मानक योजना वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी/प्रतियोगिता दिनांक 23 जून से 01 जुलाई 2025 के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश

—0—

1-जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी/प्रतियोगिता का आयोजन-

इंस्पायर अवार्ड मानक योजना वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की जिला स्तरीय प्रदर्शनी/प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 23 जून से 01 जुलाई 2025 के मध्य प्रदेश के 27 जिला क्लस्टर में आयोजित किया जाना है। जिला क्लस्टर में सहभागी जिले एवं सत्रवार अवार्डी विद्यार्थियों की संख्या का पत्रक से संलग्न है।

आयोजन स्थल पर शिक्षण सत्र-2023-24 एवं 2024-25 के अवार्डी विद्यार्थियों हेतु पृथक-पृथक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। आयोजन में जिले के स्थानीय जन प्रतिनिधि/माओ विधायक/माओ प्रभारी मंत्री आदि सभी की सहभागिता हेतु आमंत्रण-पत्र भेजा जाए।

2-जिला स्तरीय आयोजन से पहले की कार्यवाही-

2.1 समस्त जिले उनके जिले के अवार्डी विद्यार्थी को निर्धारित क्लस्टर के जिले में जहाँ आयोजन किया जा रहा है। वहीं आयोजन में सहभागिता हेतु भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

2.2 जिले के सभी चयनित अवार्डी छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में राशि रुपये 10,000/- भारत सरकार द्वारा सीधे जमा की गई है। छात्र के खाते में राशि जमा हो गई है यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लें। यदि राशि जमा नहीं हुई तो अवार्डी छात्र के प्रचलित बैंक का नाम, बैंक अकाउन्ट नम्बर, आइ.एफ.एस.सी. कोड आदि जानकारी शाला के लॉगिन आईडी से दिनांक 15 जून 2025 तक अपडेट कराएँ। यह संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

2.3 इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में जिन छात्रों को अवार्ड राशि प्राप्त हुई है उन छात्रों को प्रदर्शनी/प्रतियोगिता में अनिवार्य रूप से भाग लेने के निर्देश जारी करें एवं भाग न लेने की स्थिति में प्रदाय की गई अवार्ड राशि वापस ली जाए, इसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की होगी।

2.4 सभी अवार्डी छात्र-छात्राओं को लिखित रूप में जिला स्तरीय प्रदर्शनी/प्रतियोगिता की तिथियों, समय एवं स्थल के बारे में अवगत कराये एवं यह सुनिश्चित करें कि जिला स्तरीय प्रदर्शनी/प्रतियोगिता में शत-प्रतिशत अवार्डी विद्यार्थी उनके द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट/मॉडल के साथ भाग लें।

2.5 अवार्डी विद्यार्थियों को अवगत कराये कि उन्हें प्राप्त होने वाली राशि रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की राशि में वास्तविक यात्रा देयक, मॉडल/प्रोजेक्ट निर्माण हेतु राशि दोनों सम्मिलित है।

2.6 प्रत्येक चयनित अवार्डी छात्र-छात्राओं को प्रोजेक्ट/मॉडल निर्माण में मार्गदर्शन हेतु विद्यार्थी के गाइड शिक्षक, विज्ञान शिक्षक/व्याख्याता/जिला विज्ञान अधिकारी को मार्गदर्शी शिक्षक का दायित्व सौंपा जाये।

2.7 जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन क्लस्टर जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय अथवा अन्य सुविधायुक्त स्थल में किया जाये। जिले में सहभागिता करने वाले छात्रों की संख्या एवं बारिश के मौसम को ध्यान में रखकर आयोजन स्थल पर आवास, भोजन, वाटरप्रूफ टेण्ट आदि की समुचित व्यवस्थाएं पर्याप्त समय पूर्व कर ली जायें।

2.8 प्रदर्शनी स्थल पर अवार्डी छात्र-छात्राओं द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले प्रोजेक्ट मॉडल के टेबिल एवं कक्ष क्रमांक का विकासखण्ड वार एवं प्रतिभागी वार निर्धारण पूर्व में कर लिया जाये। दायित्वी जानकारी अतार्डी छात्र-छात्राओं को पंजीगन के समग्र ही ले ली जाये।

2.9 प्रतिभागी विद्यार्थियों एवं मार्गदर्शी शिक्षकों के आवास हेतु बिजली, पेयजल एवं शौचालय की बुनियादी सुविधाओं से युक्त उचित आवास स्थल का चयन आप अपने स्तर से कर लें। छात्राओं/महिला मार्गदर्शी शिक्षिकाओं के लिए आवास व्यवस्था पृथक् से करें। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त आवास स्थल का चयन करें तथा सफाई-सुरक्षा व्यवस्था कराएं। सुविधानुसार यह सुनिश्चित करें कि आवास स्थल, प्रदर्शनी स्थल से बहुत दूर न हो जिसमें सहभागी छात्र-छात्राओं को आवागमन में असुविधा न हो। आवागमन हेतु आवश्यकतानुसार वाहन व्यवस्था की जा सकती है।

2.10 आयोजन समिति द्वारा जिला स्तरीय प्रदर्शनी/प्रतियोगिता के अवलोकन हेतु स्थानीय विद्यार्थी, जनप्रतिनिधियों, जिला अधिकारियों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों आदि को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाये।

2.11 सभी अवार्डी छात्र-छात्राओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक कोड क्रमांक दिया गया है। क्लस्टर के जिला शिक्षा अधिकारी अवार्डी छात्र के रिकॉर्ड कोड क्रमांक के अनुसार ही प्रदर्शनी स्थल पर डिकोडिंग कर स्टॉल आवंटित करेंगे। सभी सहभागी छात्र-छात्राओं को उनके इस क्रमांक से अवगत करायें।

3-जिला प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का पंजीयन:-

3.1 जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी/प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी अवार्डी छात्र-छात्राओं उनके मार्गदर्शक शिक्षकों का विकासखण्डवार पंजीयन एक रजिस्टर में किया जाये।

3.2 पंजीयन के साथ ही उन्हें पहचान कार्ड दिया जाये, जिसे प्रदर्शनी के दौरान अपने प्रोजेक्ट के प्रदर्शन एवं गणवेश पर लगाये।

3.3 पहचान कार्ड में अवार्डी छात्र-छात्रा का नाम, फोटो, कोड क्रमांक कक्षा, विद्यालय का नाम आदि अंकित किया जाए।

3.4 पहचान कार्ड की सभी प्रविष्टियां पंजीयनकर्ता द्वारा की जायेगी। पंजीयनकर्ता अवार्डी छात्र-छात्रा के प्राचार्य द्वारा दिये प्रमाण-पत्र के आधार पर पंजीयन करेंगे।

3.5 पंजीयन के साथ ही अवार्डी छात्र-छात्राओं को उनके लिये निर्धारित आवास स्थल एवं प्रदर्शनी में प्रोजेक्ट/मॉडल के प्रदर्शन हेतु निर्धारित स्थान, कक्षा, स्टॉल की जानकारी भी दी जाये।

4-चयन की प्रक्रिया एवं निर्णायक मंडल-

4.1 जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी/प्रतियोगिता में क्लस्टर हेतु निर्धारित संख्या में अवार्डी छात्र-छात्राओं द्वारा निर्मित विज्ञान प्रोटोटाइप मॉडल प्रस्तुत किये जायेंगे। इनमें से कम से कम 10 प्रतिशत प्रोटोटाइप मॉडल का चयन राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी/प्रतियोगिता हेतु चयन किया जाये। विशेषतः यह ध्यान रखा जाए कि छात्र द्वारा जिस आईडिया को अपलोड किया गया है, उसी का ही प्रोटोटाइप मॉडल जिला स्तरीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाए। अन्य आईडिया आधारित मॉडल पर विचार नहीं किया जायेगा।

4.2 जिला स्तर पर चयन हेतु तीन सदस्यीय निर्णायक मंडल (ज्यूरी) का गठन किया जाये। इनमें से एक सदस्य का नामांकन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संस्थान द्वारा किया जायेगा। शेष दो निर्णायकों का नामांकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/राज्य विज्ञान शिक्षा स्थान/राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशाला/आई.आई.टी.आदि से किया जायेगा। निर्णायक मंडल (ज्यूरी) सदस्यों को उनके कार्य हेतु अंतिम दिवस पर एकमुश्त राशि रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) प्रति सदस्य मानदेय प्रदान किया जाये, जिसमे टी०ए० सम्मिलित रहेगा।

विभाग/राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान से आए प्रतिनिधि के समक्ष तैयार की जाए। वरीयता सूची में निर्णायक मण्डल के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा।

4.4 जिला स्तर पर निर्णायक मण्डल का निर्णय ही अंतिम होगा। निर्णायक मंडल से चयन प्रक्रिया का एक संक्षिप्त प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये और जिला स्तरीय प्रदर्शनी के प्रतिवेदन के साथ यह प्रतिवेदन लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित किया जाये।

4.5 जिला स्तर से राज्य स्तर हेतु चयनित प्रोटोटाइप मॉडल के छात्र-छात्राओं को उनके प्रोटोटाइप मॉडल के साथ राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में अनिवार्य रूप से भाग लेने हेतु क्लस्टर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लिखित में निर्देशित किया जाये।

5- क्लस्टर जिला के जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय आयोजन के सफल क्रियान्वयन हेतु आयोजन की रूपरेखा एवं व्यवस्थाएं तय करें एवं आवश्यकतानुसार अधिकारियों को दायित्व सौंपे जाये।

6- प्रतिभागी अवार्डी छात्र-छात्राओं मार्गदर्शक शिक्षकों, ज्यूरी सदस्यों के समुचित आवास, अल्पाहार भोजन, पेयजल, एवं सुरक्षा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराये।

7- जिला स्तरीय प्रदर्शनी/प्रतियोगिता आयोजन समिति-

अध्यक्ष	जिला शिक्षा अधिकारी पदेन नोडल अधिकारी इंसपायर
संयोजक	सहायक जिला नोडल अधिकारी (ए.डी.पी.सी.) इंसपायर
सहायक संयोजक	जिला विज्ञान अधिकारी इंसपायर
सदस्य	प्राचार्य शा.उ.मा.वि. जिला मुख्यालय (अध्यक्ष द्वारा नामांकित)
सदस्य	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला स्रोत केन्द्र-पदेन
सदस्य	प्राचार्य अशासकीय उ.मा.वि जिला मुख्यालय

उक्त समिति आयोजित होने वाली जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी की संपूर्ण रूपरेखा तैयार कर इसका प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करायेगी एवं उद्घाटन एवं समापन कार्यक्रमों की संपूर्ण व्यवस्थाएं करायेगी।

8- प्रोटोटाइप मॉडल प्रदर्शन समिति-

अध्यक्ष	जिला सहायक नोडल अधिकारी इंसपायर अवार्ड मानक
संयोजक	जिला विज्ञान अधिकारी
सदस्य	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत विज्ञान विषय के 5 व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक।

यह समिति अवार्डी छात्र-छात्राओं द्वारा निर्मित विज्ञान के प्रोटोटाइप मॉडल को प्रदर्शनी में व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करायेगी एवं समिति छात्र-छात्राओं को पंजीयन के समय ही उनके द्वारा निर्मित प्रोटोटाइप मॉडल के प्रदर्शन के लिए निर्धारित कक्ष स्थल आदि के बारे में जानकारी देगी तथा अवार्डी छात्र-छात्राओं को प्रोटोटाइप मॉडल के प्रस्तुतिकरण हेतु आवश्यक सामग्री एवं सहयोग प्रदान करेगी।

9- निर्णायक मण्डल (ज्यूरी) निर्धारण समिति-

अध्यक्ष	कलेक्टर
संयोजक	जिला शिक्षा अधिकारी
सदस्य	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक
सदस्य	राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

10-संबंधित क्लस्टर के जिला शिक्षा अधिकारी के निर्णायक ज्यूरी हेतु दायित्व :-

10.1 स्थानीय स्तर पर निर्णायक मण्डल (ज्यूरी सदस्यों) के नामों को तय कर इसका अनुमोदन क्लस्टर से लेना एवं उनका निर्णायक के रूप में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

10.2 ज्यूरी सदस्यों को अवार्डी छात्र-छात्राओं द्वारा निर्मित विज्ञान के प्रोटोटाइप मॉडल की सुव्यवस्थित जानकारी देना।

10.3 निर्णायक मंडल को उनकी आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना एवं अवार्डी छात्र-छात्राओं के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना।

10.4 निर्णायक मंडल को उनके द्वारा चयनित प्रोटोटाइप मॉडल की सूची बनाने एवं संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग करना।

10.5 समिति निर्णायक मण्डल द्वारा राज्य स्तर हेतु चयनित प्रोटोटाइप मॉडल के छात्र-छात्राओं को लिखित में अवगत कराते हुए उन्हें प्रोटोटाइप मॉडल के साथ आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में अनिवार्य रूप से भाग लेने हेतु निर्देशित करना।

10.6 प्रोटोटाइप मॉडल चयन की प्रक्रिया में ज्यूरी का निर्णय अंतिम होगा।

10.7 निर्णायक मण्डल के सदस्यों को उनके लिए निर्धारित मानदेय एवं यात्रा व्यय कार्य उपरांत तत्काल भुगतान कराना सुनिश्चित करना।

11- संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के दायित्व :-

उपरोक्त अनुसार जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी/प्रतियोगिता के आयोजन से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही का समन्वय, निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं उनके संभाग के सभी जिलों के अवार्डी छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित कराई जाकर उनके संभाग अंतर्गत क्लस्टर के आयोजन का उत्तरदायित्व संबंधित संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को होगा।

12-वित्तीय प्रावधान-

12.1 भारत सकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक की जिलास्तरीय प्रतियोगिता हेतु प्रति अवार्डी विद्यार्थी राशि रुपये 2000/- की दर से व्यय सीमा निर्धारित की गई है। अतः क्लस्टर में शामिल विद्यार्थी की संख्या के मान से ही व्यय किया जाये। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना से उक्त आयोजन हेतु शीघ्र ही राशि का प्रदाय किया जायेगा।

12.2 अवार्डी छात्रों को प्राप्त होने वाली रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की राशि का वास्तविक यात्रा देयक तथा प्रोटोटाइप मॉडल निर्माण हेतु व्यय किया जाये।

13-संबंधित क्लस्टर के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजन उपरांत अधोलिखित जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

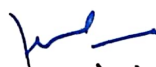
13.1 आयोजन से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट/जिले का कार्यप्रतिवेदन श्रेष्ठ फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी की सीडी एवं अखबार की कतरनों सहित।

13.2 जिला स्तर पर चयनित अवार्डी छात्र-छात्राओं की सूची सहित प्रपत्र-अ में पूर्ण विवरण।

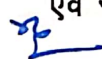
13.3 उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं संक्षिप्त रिपोर्ट (अंग्रेजी प्रारूप में) प्रपत्र-ब एवं स

13.4 मदवार वास्तविक व्यय विवरण/देयकों की छायाप्रति

13.5 आडिट रिपोर्ट


(एच.एन. नेमा)

उप संचालक

 एवं राज्य नोडल अधिकारी इंस्पायर अवार्ड मानक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Anex-1

INSPIRE AWARDS CLUS* DLEPC 2023-24 AND 2024-25

INSPIRE AWARDS CLUSTER DLEPC 2023-24 AND 2024-25								
S. No.	27 Cluster Name	Clusterwise District	awardee students 2023-24	awardee students 2024-25	District wise Total awardee students	Cluster Wise awardee students Total	Cluster Wise DLEPC organizing date	NIF Team
1	Bhopal	Bhopal	68	104	172	172	25.06.2025 - 26.06.2025	Team 1
2	Raisen	Raisen	22	46	68	110	27.06.2025 - 28.06.2025	
		Vidisha	14	28	42			
		Shajapur	31	42	73			
3	Shajapur	Rajgarh	21	35	56	129	30.06.2025 - 01.07.2025	
		Betul	33	59	92			
4	Betul	Harda	21	28	49	141	02-.07.2025 - 03.07.2025	
5	Khandwa (East Nimar)	Khandwa (East Nimar)	41	53	94			
6	Sagar	Sagar	45	48	93	158	25.06.2025 - 26.06.2025	
		Damoh	24	41	65			
		Narsinghpur	30	41	71			
7	Narsinghpur	Narsinghpur	30	41	71	71	27.06.2025 - 28.06.2025	Team 2
8	Hoshangabad	Hoshangabad	45	80	125	125	30.06.2025 - 01.07.2025	
9	Sehore	Sehore	33	44	77	77	02-.07.2025 - 03.07.2025	
10	Dewas	Dewas	36	56	92	92	04-07-2025 - 05.07.2025	
11	Jabalpur	Jabalpur	46	78	124	124	25.06.2025 - 26.06.2025	
12	Balaghat	Balaghat	22	77	99	127	27.06.2025 - 28.06.2025	Team 3
		Mandla	6	22	28			
13	Seoni	Seoni	60	94	154	154	30.06.2025 - 01.07.2025	
14	Katni	Katni	36	34	70	70	02-.07.2025 - 03.07.2025	
15	Chhindwara	Chhindwara	79	416	495	495	04-07-2025 - 05.07.2025	
16	Indore	Indore	72	72	144	144	25.06.2025 - 26.06.2025	Team 4
17	Dhar	Dhar	9	118	127	159	27.06.2025 - 28.06.2025	
		Jhabua	1	12	13			
		Alirajpur	1	18	19			
18	Khargone	Khargone	20	26	46	91	30.06.2025 - 01.07.2025	
		Burhanpur	14	13	27			
		Barwani	6	12	18			
19	Ratlam	Ratlam	122	133	255	255	25.06.2025 - 26.06.2025	Team 5
20	Neemuch	Neemuch	47	63	110	150	27.06.2025 - 28.06.2025	
		Mandsaur	19	21	40			
21	Ujjain	Ujjain	52	71	123	166	30.06.2025 - 01.07.2025	
		Agar Malwa	25	18	43			

W



22	Satna	Satna	116	169	285	285	25.06.2025 - 26.06.2025	Team 6
23	Sidhi	Sidhi	16	43	59	168	27.06.2025 28.06.2025	
		Rewa	30	33	63			
		Singrauli	19	27	46			
24	Shahdol	Shahdol	11	16	27	127	30.06.2025 01.07.2025	
		Umaria	9	18	27			
		Anuppur	6	27	33			
		Dindori	12	28	40			
25	Gwalior	Gwalior	35	50	85	225	25.06.2025 - 26.06.2025	
		Bhind	13	32	45			
		Sheopur	5	11	16			
		Datia	17	26	43			
		Morena	15	21	36			
					225			
					225			
26	Guna	Guna	19	30	49	126	27.06.2025 - 28.06.2025	
		Ashoknagar	13	35	48			
		Shivpuri	13	16	29			
					126			
27	Chhatarpur	Chhatarpur	27	46	73	143	30.06.2025 -01- .07.2025	
		Panna	11	6	17			
		Tikamgarh	11	15	26			
		Niwari	7	20	27			
		Grand Total	1506	2672	4178	4178		Team 7



State nodal officer
Inspire awards manak